POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.06.2025

1.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से आरआरयू चोरी करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 आर0आर0यू0, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, चोरी की घटना में प्रयुक्त एक कार व 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.06.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से एनसीआर क्षेत्र में रात्रि के समय रैकी करके मोबाइल टावरों के आरआरयू चोरी करने वाला 01 शातिर चोर उमर पुत्र उस्मान को भूडा कट सेक्टर-81 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 आर0आर0यू0, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, 01 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 कार होंडा सिटी रजि0नं0 यूपी 80 सी.डी 0047 बरामद की गई है।

1. अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है, जो एनसीआर क्षेत्र में गाड़ी से मोबाइल टावरो की रैकी करता है और पकड़े जाने पर यात्री होने का बहाना बना लेता है, ताकि किसी को शक न हो।
2. अभियुक्त उपरोक्त ऐसे मोबाइल टॉवर जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नही रहते है, कि रैकी करके उन मोबाइल टावरो को टारगेट कर उन मोबाइल टावरो से आरआरयू व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. उमर पुत्र उस्मान निवासी ग्राम डाहर थाना सरूरपुर, जिला मेरठ उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

2. मु0अ0सं0 291/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक आर0आर0यू0 चोरी का
2. चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण चाबी(नट बोल्ट खोलने वाली), 01 पेचकस
3. एक होन्डा सिटी कार रजि0नं0 यूपी 80 सी.डी. 0047
4. 01 अवैध चाकू

2.थाना फेस-3 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.06.2025 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना की सहायता से कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0-242/24 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त दिनेश उर्फ मुलायम उर्फ राजा पुत्र श्रीपति सिंह को सहारा कट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित अन्तर्राज्यीय गिरोह बनाकर चार पहियां वाहन चोरी करने का अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित करने का अपराध कारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधिकारीगण द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. दिनेश उर्फ मुलायम उर्फ राजा पुत्र श्रीपति सिंह निवासी ग्राम पीपरखेडा, थाना सराय छोला, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश उम्र 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 18/24 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 31/24 धारा 307/411/420/482/34 भादवि व 3/25/27 आमर्स एक्ट व 4/25 आमर्स एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 141/22 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 242/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 330/2025 धारा 305/317(2)/318(4) बीएनएस व 60/63 आ0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा